2020/00053 (D)

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर

प्रकरण सं0 ......87...................................... वर्ष .....2020..............................

राजस्थान सरकार बनाम ....दीपसिंह & बलवन्त सिंह s/o जवाला सिंह 1APP

प्रस्तुतिकरण दिनांक ......19/08/2020..................................... निर्णय दिनांक .....07/09/2020.....

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशिंयल्स जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
07/09/2020	पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्वत् ..2077....... में भूमि रकबा राज दर्ज है। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का ...3 KSD .... का प्रतिवेदन दिनांक 19/08/2020........ को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी दीपसिंह & बलवन्त.... पुत्र ...जवाला सिंह..... जाति ...[illegible]....... निवासी ....1APD......................... को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अर्न्तगत चक ..1APD...... मु.नं. 231/381.... कुल...3.516...... है0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू0 राजस्व की दर का .....10....... गुणा राशि ...281...... शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू0अधि0 ...RSTB....... .... को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक ...07/09/2020... को लिखवाया जाकर सुनाया गया। (हस्ताक्षर) तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर 'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं...........68.................. की क्रम सं. . ...04...... दिनांक ...11-9-2020........ को ...281.............. ..... दर्ज किया गया। (हस्ताक्षर) ता0रा0ले0	

Scanned with OKEN Scanner

31/01/2021 पत्रावली पेशी में ली गयी। गिरदावर हल्का....8S.T.B......... द्वारा फर्द निलामी पेश की गयी। जिसमें सर्वाधिक बोलीदाता श्री [illegible] S/o [illegible]

जाति....जाट................ साकिन......8 S.T.B........... की रुपये....1500/–.................

की रही उक्त बोली स्वीकार की गयी। गिरदावर हल्का द्वारा स्वीकृत शुद्दा निलामी राशि जरिये चालान सख्या....530.......... दिनांक....22/01/2021....... को राशि...1500/–......राजकोष में जमा करवा दी है जो शामिल मिसल हो मांग दर्ज लेखा की जावे। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार ले लिया है। तावान राशि वसूल की जा चुकी है। पत्रावली में शेष कार्यवाही आपेक्षित नहीं है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार (राजस्व)
श्रीविजयनगर

रजिस्टर का पृष्ठ सं. 68 क्र.सं. 5
दिनांक 5/2/21 राशि 1500/ दर्ज किया